संख्या-01/2021/2836/41-2020-06(बजट)/2017

प्रेषक,

शिव पाल सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 04 जनवरी 2020**

विषय:- जनपद मथुरा में स्थित पं0 दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली ग्राम नगला चन्द्रभान के पर्यटन विकास की परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 559/6-1-1(847)/2017-18 दि0-15 जून 2020 ,पत्र सं0-1774/6-1-1(847)/2019 दिनांक 14 अगस्त 2020 एवं पत्रांक- 3041/6-1-1(847)/2019 दि0-09 अक्टूबर 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अन्तर्गत् **जनपद मथुरा में स्थित पं0 दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली ग्राम नगला चन्द्रभान के पर्यटन विकास की परियोजना हेतु** चयनित कार्यदायी संस्था **उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0** द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष शासनादेश संख्या-41/2017/1762/41-2017-06(बजट)/2017 दिनॉक15 सितम्बर, 2017 द्वारा रू0 498.00 लाख (रू0 चार करोड अठ्ठानवे लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 249.00 लाख (रू0- दो करोड उनचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी । तदनन्तर शासनादेश सं0-84/2017/1045/41-2018-06(बजट)/2017 दिनांक 25-3-2018 द्वारा प्रायोजना की अवशेष धनराशि रू0**-249.00** लाख अवमुक्त की गई। परन्तु प्रायोजना की सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त प्रश्नगत परियोजना के स्वीकृत कार्यो में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत कार्य की मदों में कुछ कार्यों की लागत में परिवर्तन,कुछ कार्यों को हटाये जाने, एवं कुछ नये कार्यों को जोडे जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसके क्रम में तत्समय शासनादेश सं0- 167/2018 /2351/41-2018-06(बजट)/2018 दिनांक 20-9-2018 द्वारा पूर्व की स्वीकृत परियोजना/ कार्यों में से कुल 13 कार्यों में प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संशोधन की अनुमति प्रदान की गई।

2- **उक्त पृष्ठभूमि में** श्री नवीन कुमार मित्तल ,मंत्री पं0 दीनदयाल उपाध्याय जन्मस्थली दीनदयालधाम फरह मथुरा द्वारा निर्माणाधीन कार्यों में पुन: आंशिक संशोधन किये जाने के अनुरोध क्रम में महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 द्वारा प्रायोजना हेतु पूर्व में स्वीकृत कार्यों में पुन: निम्नांकित विवरणानुसार परिवर्तन किये जाने की अपेक्षा करते हुये सिर्फ अवशेष कार्यों के संदर्भ में पुनरीक्षित आगणन रू0-246.82 लाख उपलब्ध कराया गया :-

क्र0	कार्य का विवरण	शासनादेश दि0-15-9-17 में स्वीकृत लागत	शासनादेश दि0-20-9-18 में अनुमोदित लागत	संशोधित अगाणन रू0- 246.82 लाख में प्रस्तावित लागत	अभ्युक्ति
1	Tiolet block	1204811.52	1354000.00	1354277.45	As per specification
2	Landscape and Horticulture for park	1254534.00	1255000.00	1254594.75	-------
3	Cleaning of jungle and and sand pit	566565.99	858000.00	858508.69	Drain cover to be added
4	Landscape lighing and Electrification	3087421.92	3200000.00	3199672.96	---------
5	Pathway and paving	2508190.50	3418000.00	3417843.56	Open Amphithatre removed so paving increased

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6	External Sewerage,Drainage and Rain water harvesting	1204934.20	1096000.00	1095895.61	Decreased piping length
7	Childrens play Apparatus	1114328.57	469000.00	469510.71	As per Demand
8	Pump room with tubewell	528106.46	0.00	528106.46	-------
9	Open Amphitheatre	1608151.23	0.00	0.00	Not required
10	Musical fountain	3124593.70	750000.00	0.00	Not required
11	Boundary wall for park	2715398.00	2580000.00	2579838.95	As per demand
12	Boundary wall for park (Front)	0.00	701000.00	701333.54	As per demand
13	Replica (some work reduced)	0.00	3203000.00	1509000.00	As per demand
14	R.O.	0.00	0.00	50000.00	As per demand
15	Submersible pump	0.00	0.00	75000.00	As per demand
16	Guard room	0.00	0.00	176000.00	As per demand
17	Repair of damaged Guest house	0.00	0.00	1657893.54	As per demand
18	Repair work of small pond	0.00	0.00	250000.00	As per demand
19	Laying of pipelines for irrigation a park	0.00	0.00	385000.00	As per demand
20	Main MS gate of tourist complex	0.00	0.00	198000.00	As per demand
21	Stone cladding on main gate	0.00	0.00	254000.00	As per demand
22	Stainless steel railing	0.00	0.00	200000.00	As per demand
23	Paver interlocking(80mm Thick)	0.00	0.00	163000.00	As per demand
		18917036.09	18884000.00	20377476.22	
	Less 5% for Departmental work	945851.80	944200.00	1018873.81	
	Total(A)	**17971184.29**	**17939800.00**	**19358602.41**	
	Add 12.5% centage on A	2246398.04	2242475.00	2419825.30	
	Add 1% Labour cess on A	179711.84	179398.00	193586.02	
	12 % GST on A	2156542.11	2152776.00	2323032.29	
	2% Contingencies charges on A	359423.69	358796.00	387172.05	
	Grand Total	**22913259.96**	**22873245.00**	**24682218.07**	

3- उक्त पुनरीक्षित कार्यों के आगणन रू0-246.82 लाख का विभागीय अप्रेजल समिति द्वारा मूल्यांकन करने के दौरान व्यक्त की गई संवीक्षा के क्रम में पूर्व अनुमोदित सम्पूर्ण प्रशासकीय स्वीकृति के अन्तर्गत वर्क डन एवं वर्क टू बी डन के आधार पर तुलनात्मक विवरण /चार्ट प्रस्तुत करते हुये रू0-497.56 लाख का पुनरीक्षित आगणन गठित कर उपलब्ध कराया गया , जिसकी अप्रेजल समिति द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार मूल्यांकित लागत रू0-482.84 लाख (जी0एस0टी0 सहित) आंकलित की गई है:-

क्रमांक	**कार्य का विवरण**	**लागत(रूपये लाख में)**
1	**वर्क डन की लागत**	**341.34**
2	**वर्क टू बी डन की लागत**	**35**.13
	योग	**376.47**
3	**5 प्रतिशत की कमी**	**(-)18.82**
4	**12.5 प्रतिशत सेन्टेज**	**44.70**
5	**01 प्रतिशत लेबर सेस**	**3**.57
6	**12 प्रतिशत जी0एस0टी0**	**42.92**
7	**बॉट आउट आइटम्स**	**33.37**
	कुल योग	**482.21**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायोजना हेतु उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन रू0 497.56 लाख का विभागीय अप्रेजल समिति से मूल्यांकन कराने के उपरान्त आंकलित लागत के क्रम में प्रायोजना हेतु रू0-482.84 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष इस निर्देश सहित प्रदान करते है कि इस प्रायोजना हेतु पूर्व में 02 किश्तों में अवमुक्त की गई कुल धनराशि रू0.498.00 में से अधिक अवमुक्त की गई धनराशि रू0-15.16 लाख को अविलम्ब राजकोष में जमा कराकर उक्त की सूचना (संगत अभिलेखों सहित) शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रायोजना की अन्य शर्तों एवं प्रतिबंध निम्नवत् हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-41/2017/1762/41-2017-06(बजट)/2017 दिनॉक 15 सितम्बर, 2017 ,शासनादेश सं0-84/2017/1045/41-2018-06(बजट)/2017 दिनांक 25-3-2018 एवं शासनादेश सं0- 167/2018 /2351/41-2018-06(बजट)/2018 दिनांक 20-9-2018 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रायोजना हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) पूर्व में स्वीकृत की गई धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 के प्रस्तर-2(9)(ड) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना में पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/प्रस्ताव एवं विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-7-1379/दस-2020 दिनांक 31 दिसम्बर 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 01/2021/2836(1)/41-2020-06(बजट)/2017 तद्दिनॉक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव,पर्यटन विभाग,उ0प्र0शासन।
4- जिलाधिकारी, मथुरा।
5- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
6- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9- सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, अलीगढ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11- उप निदेशक, पर्यटन आगरा।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in